

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/1/5/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021-22/1861

दिनांक: 20/01/2022

-: आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.2(37)राज-1/2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज-1/2017 दिनांक 20.12.21 के क्रम में राजकार्यों के समय पर निष्पादन के दृष्टिगत नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से नायब तहसीलदार के रिक्त पद एवं पूर्व से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर राजस्व मण्डल द्वारा जारी दिनांक 1.4.17 की रिथति की भू-अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं इसमें समय-समय पर हुए संशोधन के आधार पर भू-अभिलेख निरीक्षकों को स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2021 को आयोजित की गई।

स्क्रीनिंग कमेटी के आयोजन के समय उप-निबंधक (जांच) द्वारा श्री चुन्नीलाल व शंकर लाल भू-अभिलेख निरीक्षकों के विरुद्ध जांच एवं श्री सोहन लाल भू-अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध गत सात वर्ष से पुराने दण्ड दर्शाये जाने के कारण इनके कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने सम्बंधी आदेश जारी नहीं किये गये।

उप-निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त संशोधित सूचना दिनांक 13.1.22 के अनुसार श्री चुन्नीलाल, शंकर लाल एवं श्री सोहन लाल भू-अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

अतः निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों के विरुद्ध वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं होने के कारण इनको कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :-

:- नॉन टीएसपी क्षेत्र :-

SR.NO.	ELG NO.	Seniority S. NO.	Name ILR	Father's Name	Category	DOB	DPC YEAR/DEM	Present posting place
1	45	1588	SOHANLAL	HEMARAM	SC	1-Jul-1962	2013-14	NAGAU
2	387	2049	CHUNNI LAL	BHNU RAM	SC	10-Jul-1975	2014-15	CHURU
3	535	2253	SHANKAR LAL	CHINA RAM	SC	15-Jan-1970	2015-16	SIROHI

नोट :- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों का पदस्थापन वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध नायब तहसीलदार के (नॉन टीएसपी एवं टीएसपी क्षेत्रवार) रिक्त पदों के अनुसार की जायेगी।

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्यक्षीन रहेगा :-

1- दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल एवं केवल मात्र उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।

2- उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई भू-अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3- स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू-अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4- उक्त कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मूल रूप से भू-अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेंगे तथा भू-अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और नहीं किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5- स्कीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशांका को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू-अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।


6- स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र भू-अभिलेख निरीक्षकों को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र भू-अभिलेख निरीक्षक इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग /संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों को वेतन नायब तहसीलदार के रिक्त पद के विरुद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन भू-अभिलेख निरीक्षकों के कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से भू-अभिलेख निरीक्षक के पद को रिक्त माना जायेगा।

8- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक यदि कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलेक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- स्कीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्कीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी भू-अभिलेख निरीक्षक के विरुद्ध स्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी भू-अभिलेख निरीक्षक के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,



(डॉ. मोहन लाल यादव)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

दिनांक: 20/01/2022

क्रमांक: सम/ 1962-1920

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 4- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 5- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
- 6- संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
- 7- जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
- 8- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
- 9-
- 10- सम्बंधित.
- 11- आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।



भंवर सिंह सान्दू
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर